भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1153
(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।)

क्रिप्टो करेंसी का विनियमन

1153. **श्री पुट्टा महेश कुमारः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क)क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान देश में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है;

(ख)यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की क्रिप्टोकरेंसी के विनियमन के लिए कोई मॉडल दिशानिर्देश/नियम लागू करने की कोई योजना है और यहि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर ग्रामीण/टियर-II/टियर-III शहरों में क्रिप्टोकरेंसी के संबंध में जागरूकता बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ख): भारत में क्रिप्टो आस्तियां गैर-विनियमित हैं और सरकार इन आस्तियों संबंधी डेटा एकत्रित नहीं करती है। इसके बावजूद, सरकार ने दिनांक 7 मार्च, 2023 की अधिसूचना के तहत क्रिप्टो आस्तियों/वर्चुअल डिजिटल आस्तियों (वीडीए) को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के दायरे के तहत ला दिया है ताकि वर्चुअल डिजिटल आस्तियों से जुड़े लेनदेन को पीएमएलए के दायरे के तहत लाया जा सके। इसके अलावा, इन आस्तियों से होने वाली आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर लगाया जाता है और वर्चुअल डिजिटल आस्ति क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत विनियमित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, क्रिप्टो आस्तियों के संपर्क में वाली कंपनियों को 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी दिनांक 24 मार्च 2021 की अधिसूचना के तहत कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में किए गए संशोधन के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों में क्रिप्टो आस्तियों की अपनी होल्डिंग का ब्यौरा देना आवश्यक है।

(ग) से (घ): क्रिप्टो आस्तियाँ परिभाषा के अनुसार असीमित हैं और विनियामक मध्यस्थता को रोकने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए, आदर्श दिशानिर्देश/नियम बनाने संबधी कोई भी प्रस्ताव जोखिमों और लाभों के मूल्यांकन और सामान्य वर्गीकरण तथा मानकों के विकास हेतु महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही लागू किया जा सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो आस्तियों के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को आर्थिक, वित्तीय, प्रचलनात्मक, कानूनी और सुरक्षा चिंताओं सहित संभावित जोखिमों के बारे में सचेत करते हुए एडवाइजरी जारी की हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मई, 2021 के अपने परिपत्र के तहत अपनी विनियमित निकायों को सलाह दी है कि वे केवाईसी, धन शोधन रोधी (एएमएल), आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटना (सीएफटी), धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002, आदि के तहत दायित्वों के मानकों को शासित करने वाले विनियमों के अनुरूप, वर्चुअल करेंसी में लेनदेन के लिए ग्राहक की ड्यू डिजिलेंस प्रक्रियाओं को जारी रखें।

*****